

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

होमाराम

बनाम

तहसीलदार

किस्म मुकदमा :- राजस्व वाद, नम्बर :- 178/2015

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हक हुकम की तामील में जारी हुए
10.06.2015	<p>वकील वादी उपस्थित।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालत केम अटल सेवा केन्द्र-आसरलाई में पत्रावली पेश हुई। वादी ने दावा अन्तर्गत धारा 88 RT Act. के तहत पेश किया। वादी का दावा दर्ज रजिस्टर हो। वादी ने निवेदन किया कि मौजा- आसरलाई तहसील-जैतारण के खसरा नम्बर 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687 कुल रकबा 73.08 एवं ख0न0 167, 347, 348, 246 कुल रकबा 48.11 बीघा भूमि में सोमाराम पुत्र लाबुराम जाट निवासी आसरलाई नाम दर्ज हैं। जबकि वास्तविक नाम होमाराम पुत्र लाबुराम जाट निवासी आसरलाई हैं। सबूत में वादी/वादिया ने आधार कार्ड, पहचान-पत्र की छाया प्रति पेश की हैं। वादी ने दावा डिक्री करने का निवेदन किया हैं।</p> <p>राजस्व लोक अदालत में मजमा-ए-आम में जानकारी प्राप्त की गई। मौजा- आसरलाई तहसील-जैतारण के खसरा नम्बर 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687 कुल रकबा 73.08 एवं ख0न0 167, 347, 348, 246 कुल रकबा 48.11 बीघा भूमि में सोमाराम पुत्र लाबुराम जाट निवासी आसरलाई नाम दर्ज हैं। जबकि वास्तविक नाम होमाराम पुत्र लाबुराम जाट निवासी आसरलाई हैं। सबूत में वादी ने आधार कार्ड, पहचान-पत्र की छाया प्रति पेश की हैं। वादी का नाम दर्ज किया जाता है, तो प्रति0 को कोई आपति नहीं हैं। वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करना उचित समझते हैं।</p> <p>अतः डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि मौजा- आसरलाई तहसील-जैतारण के खसरा नम्बर 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687 कुल रकबा 73.08 एवं ख0न0 167, 347, 348, 246 कुल रकबा 48.11 बीघा भूमि में सोमाराम पुत्र लाबुराम जाट निवासी आसरलाई नाम के स्थान पर होमाराम पुत्र लाबुराम जाट निवासी आसरलाई नाम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाबता पत्रावली दाखिल दफतर/लेख्य भण्डार जमा हो।</p>	<p>CSJ 18.4.16</p>

SDO

**डिक्री व मुकदमें इन्तदाई**

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण  
जिला-पाली :- श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

वादी :-

बनाम

प्रतिवादी :-

होमाराम पुत्र लाबुराम जाट

निवासी आसरलाई

तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार

जैतारण

तहसील-जैतारण,

जिला-पाली (राज.)

**राजस्व वाद बाबत घोषणा, व स्थाई**

मु0न0 :रा0वा0 स0: 178 /2015

**निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु .....-..... व हाजरी स्वयं वादी मिनजानिब मुद्धई व प्रतिवादी मिनजानिब मुद्दायलाह पेशहोकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि अतः डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि मौजा- आसरलाई तहसील-जैतारण के खसरा नम्बर 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687 कुल रकबा 73.08 एवं ख0न0 167, 347, 348, 246 कुल रकबा 48.11 बीघा भूमि में सोमाराम पुत्र लाबुराम जाट निवासी आसरलाई नाम के स्थान पर होमाराम पुत्र लाबुराम जाट निवासी आसरलाई को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफतर/लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल सेवा केन्द्र आसरलाई में आज तारीख 10.06.2015 को जारी किया गया ।

मोहर

**उपखण्ड अधिकारी जैतारण**  
**(जिला-पाली)**

मुद्धई	रुपये	पैसे	मुद्दायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		

मिजान:-

मिजान:-

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।